

2019/00103

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी

पतीपतीवात्र

बनाम

Deo sir

किस्म प्रकरण- रेस्टोरेशन प्रा पत्र

प्रकरण संख्या 79 / 2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	न./ता. अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
11/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बाद मुलाहिजा रीडर रिपोर्ट प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे एवं विपक्षी की तलवी के साथ-साथ मूल पत्रावली बरामद कर प्रा०पत्र. के साथ हमफीता की जाकर पत्रावली दिनांक 21/10/19 को पेश हो।	
21/10/19	<p>मूल पत्रावली हमफीता की जा चुकी है</p> <p>वकील..... पक्ष उपस्थित</p> <p>पीठारसीन अधिकारी महो... ...</p> <p>ब्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार</p> <p>दिनांक 14/10/19 को पेश हो (12)</p>	3704 7/10/19
14/10/19	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं पेशेकर ने ... उपय वकील प्रार्थी का पत्र की बहल को सभ्य-पाहले ही धाने बहल पत्रावली दिनांक 16/10/19 को पेश हो।	
16/10/19	<p>वकील... ... पक्ष उपस्थित</p> <p>पीठारसीन अधिकारी महो... ...</p> <p>ब्यस्त है अतः पत्रावली गत आदेशानुसार</p> <p>दिनांक 11/10/19 को पेश हो (12)</p>	
21/10/19	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी एवं पेशेकर एव उपय/ शेटो-गणपत पर बहल उपय पक्ष चुनी गयी। काउ एवाइल बहल प्रार्थी की मोर से उत्तुट शेटो-गणपत एकीकर सिद्धा जाता है/ शेटो-गणपत से बेबेचिट-कठवा की पत्रावली को नम्बर पर लिखा जाकर पुनः दर्ज रजिस्ट्र की जावे। पत्रावली के तल शुमा होकर नम्बर से कम होकर मूल प्रकरण की पत्रावली के हमफीता की जावे। आस्ता चुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;">डॉ० एस. पी. सिंह जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	

